हरियाणा राज्य में उद्यान विकास समेकित योजना लागू करने बारे

यह राज्य प्लान स्कीम राष्ट्रीय उद्यान मिशन के आधार पर तीन जिलों कैथल, फरीदाबाद तथा रिवाडी में लागू की जा रही है जिसमें किसानों को विभिन्न उद्यान गतिविधियों जैसे क्षेत्र विस्तार, खुम्ब उत्पादन, फूल व मसाले उत्पादन, जल स्रोत तैयार करना, संरक्षित खेती, जैविक खेती आदि शामिल हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत से लेकर शत प्रतिशत तक सहायता उपलब्ध है। अनुदान की राशि 0.05 लाख रू से लेकन 15.00 लाख रू0 तक है।

i) विभाग के लंबी अवधि के उदेश्य

a) बागवानी को किसान के लिए एक लाभदायी कृषि गतिविधि बनाना

b) निरन्तर और उन्नत प्रोद्योगिकी के माध्यम से संभावित उत्पादकता प्राप्त करना

c) लोगों को पोषण सुरक्षा प्रदान करना

ii) विभाग के मध्यम अवधि के उदेश्य (पांच वर्ष)

a) उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना

b) एग्रो प्रोसैसिंग इण्डस्ट्री को प्रोत्साहित करके फसल कटाई उपरान्त होने वाले नुकसान कम करना तथा घरेलू मार्केट विकसित करना एवं विदेशी मुद्रा कमाना

c) अभिजात्य एवं बिमारी रहित पौध सामग्री उपलब्ध करना

iii) वार्षिक उदेश्य एवं संभावित असर

a) निर्दिष्ट क्षेत्र में विभिन्न उद्यान गतिविधियों को लागू करना

b) फार्मर इन्ट्रस्ट ग्रुप तथा फार्मर प्रोडयूसर ओर्गेनाईजेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना

c) उद्यान क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी यथा प्लास्टिकलचर तथा अभियन्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना।

iv) रणनीति

वार्षिक कार्य योजना में वर्णित विभिन्न गतिविधियों को लागू किया जायेगा। किसानों को नई तकनीकी यथा संरक्षित खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। नई तकनीकों के बारे में किसानों को विस्तार सेवाओं के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। मानदण्डों अनुसार किसानों को सहायता दी जायेगी ताकि वे उद्यान कार्यकमों के प्रति उत्साहित हों।

v) गतिविधि/योजना के प्रारम्भ होने की स्थिति में स्कीम को वापिस लेना

यह योजना तीन जीले फरीदाबाद, रिवाडी तथा कैथल में जहां राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू नहीं है, लागू की जायेगी। योजना जिला स्तर पर कियान्वित की जायेगी और इसके निगरानी मुख्यालय से की जायेगी। भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं मानदण्ड इसमें लागू होंगे और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जो लाभ अन्य जिलों में देखा गया है उसे इन जिलों में भी प्राप्त किया जायेगा।

vi) स्कीम बन्द करने की स्थिति में नगदी पवाह की आवश्यकता

वेतन के लिए प्रत्येक माह धनराशि की आवश्यकता होगी जिसके लिए साल के प्रारम्भ में ही एक मुश्त स्वीकृति वांछित होगी। अन्य कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता होगी और जिसके लिए स्थिति अनुसार स्वीकृति वांछित होगी।

vii) रिपोर्टिंग प्रणाली/प्रारूप

सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जब–जब जरूरत होगी रिपोर्ट भेजी जायेगी। यद्यपि बजट उपयोग संबंधी रिपोर्ट ओन–लाईन उपलब्ध होगी।

viii) आन्तरिक/तृतीय पक्ष मुल्यांकन विधि

यह स्कीम अमले के वेतन तथा ढांचे के विकास के लिए है। आन्तरिक आडिट विभाग द्वारा किया जायेगा तथा स्कीम का आडिट प्रधान महालेखाकार द्वारा किया जायेगा।